

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी - केसरसिंह
किरम मुचरना - 128 भूरा.अधि.
कमाक

विपक्षी :- रूपकुंवर
पत्रावली संख्या : 04/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक 06.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 5, 6, 8 से 11 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 5, 6, 8 से 11 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 13 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

जाने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 5, 6, 7, 12 व अन्य खातदार की खातेदारी भूमि है। शेष विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी हैं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 12 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। शेष विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया। प्रकरण में प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आगे दिन होने वाले विवाद से बचने के लिये प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायालय में स्वीकार किया जाता है।

-: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमावंदी संवत् 2078-81 की खाता संख्या नया 257 की आराजी नम्बर 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39 कित्ता 7 रकवा 1.8000 हेक्टेयर, खाता संख्या नया 1920 की आराजी नम्बर 221, 42 कित्ता 2 रकवा 0.9500 हेक्टेयर भूमि के चारों दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- एक हजार रुपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्रदान करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

